



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-843/MATE/6/2023-SSW

दिनांक: 27/04/2023

Dr. G Padmakumar
Director,
Directorate of Purchase & Stores,
Department of Atomic Energy,
Vikram Sarabhai Bhavan, Anushakti Nagar,
Mumbai-400094
(Maharashtra)

विषय: विज्ञापन संख्या 1/DPS/2023 में Junior Purchase Assistant/Junior Store Keeper पदों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति का पालन न करने के संबंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उपरोक्त विज्ञापन संख्या 1/DPS/2023 की प्रति संलग्न, जिसमें क्रमांक 03 - Vacancies and Reservation की सूची में ST कॉलम में शून्य दर्शाया गया है जबकि अन्य सभी वर्गों की सूची में रिक्त पदों की संख्या प्रस्तुत की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है, मैं आयोग ने स्वयं सज्ञान लिया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

✓ NIC, NCST (please upload on the website)